कार्यालय, नगर निगम मधुबनी

आम सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4081 दिनांक 26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

स्वच्छता साथी कौन होगें :–

1. स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परंतु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. अभ्यार्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो।
3. अभ्यार्थी को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।
4. अभ्यार्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।
5. अभ्यार्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यो में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. अभ्यार्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG Member, Swachhagarhi, Sanitation Worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs youth, Community Based Organizations, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।
7. नगर निगम स्तर पर कुल 13 स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है।
8. अभ्यार्थी आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर विहित प्रपत्र में अपने दस्तावेज की फोटो कॉपी स्व अभिप्रमाणित कर नगर निगम मधुबनी कार्यालय में **दिनांक 27 जनवरी 2025** तक जमा करना होगा।
9. साक्षात्कार **दिनांक 02.02.2025** को नगर निगम मधुबनी के कार्यालय में **पूर्वाह्न 11:00 बजे** से आयोजित की जाएगी। सभी अभ्यार्थी अपना मूल दस्तावेज (यथा–अपने संबंधित मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ अवश्य आयेंगे।

स्वच्छता साथी के चयन का उद्देश्य :–

1. शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगररिकों को जागरूक करना एवं उन्हें उत्तरदायी बनाना।
2. शहर के कचरा मुक्त बनाने में नागरिकों की भूमिका पर उन्हें जागरूक करना।
3. नागरिकों के बीच Triggering करना और कचरे के लिए असहिष्णुता की भावना को बढाना।
4. नागरिकों को स्वच्छ परिवेश के लाभों के प्रति सचेत करना।
5. कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए वांछित व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना।

स्वच्छता साथी को मिलने वाल लाभः–

1. कार्य अवधि पाँच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
2. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।
3. छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
4. मानदेय प्रत्येक माह के एक से पाँच तारीख तक देय होगा।
5. प्रतिदिन रू0 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय 300X20=6000.00 रू0 मानदेय के रूप में देय होगा।
6. स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जाएगा, जिसकी अवधी अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
7. प्रत्येक स्वच्छता साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए Engage किया जाएगा।
8. 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
9. सभी स्वच्छता साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।
10. छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे।
11. किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नही होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोटः– यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नही है, अतः किसी भी तरह का Claim मान्य नही होगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम मधुबनी